(40)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः–प.4(2)(1)नपा/रानिआ/94/858 जयपुर, दिनांक 4.10.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

प्रेंषित,

समस्त नगरपालिका जिला निर्वाचन अधिकारी,

विषयः– नगरपालिका चुनाव – पीठासीन अधिकारियों की डायरी।

महोदय,

नगरपालिका चुनावों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र पर नियुक्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा पूर्ति करने के लिए डायरी का प्रारूप निर्धारित किया है। पीठासीन अधिकारी उक्त डायरी में मतदान के दौरान घटनाओं के संबंध में वर्णन करेगे। मतदान पश्चात् डायरी को सील बन्द मतपेटी के साथ स्ट्रांग रूप में किसी स्थिति में नहीं रखा जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जायेगी। सभी पीठासीन अधिकारियों की डायरी का अध्ययन रिटर्निंग अधिकारी या जहां अति आवश्यक हो उसके द्वारा मनोनीत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 और 55 के अन्तर्गत यदि किसी मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान हेतु रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावे तो उससे पूर्व पीठासीन अधिकारी की उक्त डायरी का अध्ययन आवश्यक रूप से किया जावे।

प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी की डायरी को समुचित रूप से भरने के लिए पीठासीन अधिकारियों को विस्तार से समझाया जावे। कृपया उक्त निर्देशों से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी अवगत करावे।

आज्ञा से

ह.
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।